अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या-आईजी अपराध-निर्देश/2014

आशीष गुप्ता,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिरीक्षक(अपराध)
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःमार्च 12,2014

विषय- जनपद में घटित सनसनीखेज अपराध व महिलाओं के साथ घटित अपराधों में घटनास्थल को सुरक्षित करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट की वीडियोग्राफी इत्यादि कराने हेतु।

प्रिय महोदय/महोदया,

पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के परिपत्र संख्या डीजी-3/2013 दिनांक 17.01.2013, परिपत्र संख्या 13/2013 दिनांक 17.04.13, परिपत्र संख्या-डीजी-16/2013 दिनांक-29-04-2014 व परिपत्र संख्या-डीजी-27/2013 दिनांक-03-06-2013 के माध्यम से गम्भीर अपराध व महिलाओं के साथ घटित अपराधों की विवेचना में विभिन्न कार्यवाही करने के लिए निर्देश निर्गत किये गये थे। अपेक्षा की गयी थी कि हत्या, डकैती, लूट, चोरी, नकबजनी, बलात्कार इत्यादि जैसे अपराधों से सम्बन्धित घटनास्थलों को yellow tape लगाकर सुरक्षित किया जाय व घटनास्थल की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करवायी जाय। गम्भीर अपराधों में जनपद से फारेन्सिक टीम बुलाकर घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्रित करवाये जाने या फिर थाने से प्रशिक्षित फारेन्सिक कर्मी के माध्यम से यह कार्यवाही करवायी जाय। इसी प्रकार से महिला सम्बन्धी अपराधों-326ए/बी, 354ए/डी, 376(1)/(2)ए-ई, 509 भादंवि की सूचना मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर महिला पुलिस कर्मी का प्रयोग किया जाय। साथ ही साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की वीडियोग्राफी भी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा की जाय।

2. आप सहमत होंगे की उक्त कार्यवाही घटना की सूचना मिलते ही अमल में लायी जाती है और इसको सम्पन्न करने में विलम्ब नहीं हो सकता। इन कार्यवाही को सुनिश्चित कराने के लिए निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं-

(1) जनपद में घटित विशेष आख्या अपराध की प्रत्येक घटना का विवरण अंकित कर विशेष आख्या थाने स्तर पर तैयार कर 24 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। इस परिपत्र के साथ विशेष आख्या भेजने का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। इसका भाग-1 पूर्व के अनुसार ही रहेगा तथा भाग-2 में उपरोक्त अनिवार्य कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया जा रहा है। इस प्रकार पर्यवेक्षक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगें कि घटनास्थल को yellow tape से सुरक्षित, घटनास्थल की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी एवं घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य का एकत्रीतकरण कर लिया गया है। साथ ही साथ महिला सम्बन्धी अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट महिला पुलिस कर्मी के समक्ष ही लिखी गयी है एवं उस कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी हो गयी है।

(2) इसी प्रकार जनपद के सभी थानों को निर्देशित किया जाय कि विशेष आख्या अपराध के घटित होने व महिला सम्बन्धी कोई भी अपराध (326-509 भादंवि) के पंजीकरण होने पर जिला नियंत्रण एवं नगर नियंत्रण कक्ष (DCR/CCR) को घटना की सूचना अंकित करवायेगें। जिला नियंत्रण एवं नगर नियंत्रण कक्ष में नियुक्त आपरेटर का दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित थाने से जानकारी प्राप्त करेगें कि घटनास्थल को सुरक्षित व उसकी वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी एवं भौतिक साक्ष्य संकलन कब किया गया है और सूचना प्राप्त होने पर उसे Log करेगें। महिला सम्बन्धी अपराधो में भी यह जानकारी प्राप्त करेगें कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के समय महिला पुलिस कर्मी उपस्थित थी एवं उस कार्यवाही की वीडियोग्राफी उसी के समक्ष करा ली गयी है। जानकारी प्राप्त कर उसको भी Log किया जायेगा। प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष एवं नगर नियंत्रण कक्ष का दायित्व होगा कि यदि यह कार्यवाही थाने स्तर से नहीं हो रही है तो जनपदीय पुलिस अधीक्षक को सूचित करेंगें, और पुलिस अधीक्षक का दायित्व होगा कि वे कार्यवाही पूर्ण करायेगें।

3. अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा और इस प्रकार यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि गम्भीर अपराधों के घटित होने पर समस्त अनिवार्य कार्यवाहियॉं करा ली गयी है।

भवदीय,

(आशीष गुप्ता)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

गम्भीर अपराध(शीर्षक.........) की विशेष आख्या (भाग-1)

चिक संख्या व मु0अ0सं0	
धारा	
दिनांक घटना व समय	
दिनांक सूचना व समय	
घटना स्थल	
वादी	
बनाम	
मृतक/मृतका, पीड़ित/पीड़िता, चोरी/लूटी गयी सम्पत्ति का विवरण	
संक्षिप्त विवरण	
विवेचक	
घटना स्थल पर जाने का रास्ता	

गम्भीर अपराध(शीर्षक.........) की विशेष आख्या (भाग-2)

हत्या/लूट/डकैती/नकबजनी/चोरी/बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में	
एलो टेप से घटनास्थल को संरक्षित करने वाले अधिकारी का नाम व पद	
घटनास्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करने वाले अधिकारी का नाम व पद	
फोरेन्सिक टीम के घटनास्थल पर पहुंचने का समय व अधिकारी का नाम	
उक्त कार्यवाहियों को DCR/CCR में अंकित कराये जाने का Log No.	
महिला सम्बन्धी अपराध 376, 376(1), 376(2) एवं ए से ई भादवि)	
एफ0आई0आर0 दर्ज करने वाली महिला पुलिस कर्मी का नाम व पद	
एफ0आई0आर0 दर्ज करने की वीडियोग्राफी करने वाली महिला पुलिस कर्मी का नाम व पद	

नोटः- प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाये।